चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर

शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में थाना मानिकपुर पुलिस ने मानसिक रुप से विक्षिप्त बालक को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 11.09.2024 को समय करीब 21.21 बजे इवेंट के माध्यम से पीआरबी 2044 को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा मानिकपुर में एक बच्चा, बालक उम्र करीब 9 वर्ष मारकुंडी रोड कस्बे में घूम रहा है जिसको पीआरबी द्वारा थाने लाया गया,थाने पर आने के उपरांत उस बालक से काफी बात करने का प्रयास किया गया परंतु बच्चा बोल नहीं पा रहा है तथा मानसिक रुप से विक्षिप्त सा प्रतीत हो रहा है,इसके संबंध में बाल कल्याण समिति से वार्ता की गई। बालक को बाल गृह पहाड़ी चित्रकूट में मेडिकल कराकर दाखिल कराया गया। आद दिनाँक 12.09.2024 को पुलिस टीम द्वारा परिजनो की जानकारी कर बालक को सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा थाना पहाड़ी पर महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं बीट आवंटन के सम्बन्ध में गोष्ठी आयोजित की गयी। महोदया द्वारा गोष्ठी में थानों पर नियुक्त महिला बीट पुलिस कर्मियों का उनकी बीट में नियमित भ्रमण कर महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी जाने के सम्बन्ध में बताया गया साथ ही थाने की

महिला हैल्पडेस्क पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनकर उनका समय से निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्यामप्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 प्रशिक्षु नीतेश यादव तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त 1.राजा भईया पुत्र भोला 2. राजू भईया पुत्र जुगराज निवासी ग्राम घुनुवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 12 बोर,02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 12 बोर,02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 प्रशिक्षु नीतेश यादव

2.आरक्षी सूरज निर्मल

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने घर से नाराज होकर चली आयी मानसिक रुप से विक्षिप्त महिला को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 11.09.2024 को नीरज देवी पत्नी जोखु प्रजापति निवासी सोनाली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी जो मानसिक रुप से विक्षिप्त है घर से नाराज होकर राजापुर तरफ आ गयी थी जिसे आज दिनाँक 12.09.2024 को राजापुर पुलिस द्वारा महिला के परिजनों की जानकारी कर सकुशल सुपुर्द किया गया।।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला

शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2023 धारा 376/506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त विकास यादव पुत्र हरिप्रसाद निवासी बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 01.03.2023 को वादी द्वारा थाना सरधुवा में सूचना गयी थी कि मेरी नाबालिक पुत्री के साथ विकास यादव ने बलात्कार किया इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 19/2023 धारा 376/506 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम विकास यादव उपरोक्त थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह द्वारा की गयी तथा दिनाँक 08.04.2023 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2018 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लवलेश कुमार पुत्र मेवालाल प्रजापति निवासी ग्राम पुरा लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के

फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 377/2017 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामप्रिय शुक्ला पुत्र देशराज शुक्ला निवासी ग्राम गाहुर थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0) श्रीमती ईला चौधरी द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त देशराज कोल पुत्र रामखिलावन कोल निवासी गढ़वा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।